

—: पर्चा डिकी : —

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णयादेश प्रस्तुत की गई। वादी का वाद इस प्रकार डिकी किया जाता है कि बाबत साबिक ख०न० 724, 725, 726 से पैमूद हाल ख० नम्बरान 1179 रकबा 0.12 हैक्०, 1180 रकबा 0.13 हैक्०, 1181 रकबा 0.13 हैक्०, 1182 रकबा 0.38 हैक्०, 1183 रकबा 0.38 हैक्०, 1184 रकबा 0.32 हैक्०, 1185 रकबा 0.41 हैक्०, 1186 रकबा 0.42 हैक्०, 1187 रकबा 0.30 हैक्०, 1188 रकबा 0.08 हैक्०, 1189 रकबा 0.07 हैक्०, 1190 रकबा 0.15 हैक्०, 1191 रकबा 0.40 हैक्०, वाके ग्राम करनीकोट तह० मुण्डावर का वादी व तर० प्रतिवादी को 1/2 भाग दर 1/27 हिस्सा का खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है एवं इसी कदर राजस्व रिकॉर्ड में वादी व तर० प्रतिवादी के नाम अमल दरामद किया, जाकर, वादी व तर० प्रतिवादी के हक व हिस्से तक प्रतिवादी सं० 1 ल० 8 का नाम हजफ कर, राजस्व रिकॉर्ड दूरुस्त किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

आज दिनांक 11.09.2024 को यह पर्चा डिकी मेरे द्वारा लिखवाई जाकर न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।



(सुरेन्द्र प्रसाद)

(R.A.S.)

उपख अधिकारी

मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा